Statutory Resolution Regarding Disapproval of Manipur Goods and Services Tax (Amendment) Ordinance, 2025 (No. 1 Of 2025) And Manipur Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2025

माननीय सभापति **:** अब आइटम नंबर्स-20 ए और 20 बी विचार के लिए एक साथ लिए जाएंगे ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति **:** श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप इस महत्वपूर्ण विषय पर निरनुमोदन संकल्प मूव करेंगे और उस पर कुछ कहना चाहेंगे?

? (व्यवधान)

माननीय सभापति **:** एडवोकेट डीन कुरियाकोस जी ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति **:** प्रो. सौगत राय जी ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति **:** माननीय मंत्री जी ।

? (व्यवधान)

वित्त मंत्री**;** तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्री **(**श्रीमती निर्मला सीतारमण**) :** सर**,** आइटम 20 ए के बाद 20 बी को मूव करना है ।? (व्यवधान) Can I do that? ? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Yes.

? (*Interruptions*)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I beg to move:

?That the Bill further to amend the Manipur Goods and Services Tax Act, 2017, be taken into consideration.?

माननीय सभापति **:** आप कुछ कहना चाहती हैं? Do you want to say something about the Bill?

? (*Interruptions*)

श्रीमती निर्मला सीतारमण**:** सर, यह जीएसटी का विषय है । Before that, we had an Ordinance. ? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Do you want to say something on the Manipur Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2025?

? (*Interruptions*)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Yes, Sir. I will just highlight the importance of this Bill. There was a GST Council?s decision because of which all States had to change their respective State Acts, which was done by State Acts by all States. But because Manipur was under disturbance, they could not do it through the State Legislature. Therefore, they brought in an Ordinance. That Ordinance?s time expired and we could not come to the House because the State Assembly was still on. ? (*Interruptions*)

Subsequently, we brought one more Ordinance -- after the Ordinance was passed -- by which time, you had the State coming under the President?s Rule. Therefore, that Ordinance will have to become a law. So, we are amending the State GST Act by introducing this Bill to replace the Ordinance. So, it is a constitutional necessity. It has to be taken up now. If it does not pass through now, the State will have difficulty in implementing the GST amendments, which have long been approved by the Council, and their revenue will get affected because they would not have the authority to charge on certain items on which the GST Council has already passed, all States have also passed, because they were able to amend their Acts. ? (*Interruptions*)

So, I would think that it is very important constitutionally to serve that State to have its GST collection enabled. The Ordinance be converted into a Bill and the House should pass it. Thank you. ? (*Interruptions*)

माननीय सभापति**:** माननीय सदस्यगण, कृपया आप एक संवैधानिक बाध्यता को समझिए । माननीय मंत्री जी ने इस बिल को प्रस्तुत करते समय इस बात का उल्लेख किया है कि जो मणिपुर की परिस्थितियां हैं और जीएसटी काउंसिल में जो विषय आया है, वह राज्य का विषय है । उसकी संघीय ढाँचे में एक संवैधानिक बाध्यता है ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति**:** माननीय सदस्यगण, मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि माननीय मंत्री जी ने इस बिल को रखा है और उन्होंने इस पर कहा है कि यह बिल पास करना आवश्यक है, नहीं तो कठिनाइयां उत्पन्न हो जाएंगी ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति: ऐसी तमाम वस्तुएं, जिनको जीएसटी में लाने के लिए यहां परस्पर सहमति से निश्चय किया गया है । अगर आप उस कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग पर, विधेयक पर विचार करना चाहते हैं तो मैं आपको बोलने का मौका दूंगा ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, मैं आप सबसे उम्मीद करता हूँ । क्या आप इस सदन में पहले दिन से शोर करने के लिए आए हैं? क्या आप इस सदन में केवल हंगामा करेंगे?

? (व्यवधान)

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, आप पहले अपनी-अपनी सीट्स पर जाइए, तभी मैं आपको बोलने का मौका दूंगा । आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? श्यामकुमार बर्वे जी, आखिर आपकी क्या जिम्मेदारी है? आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस विधेयक पर चर्चा करें । शताब्दी राय जी, क्या आप इस विधेयक पर चर्चा नहीं करेंगी?

? (व्यवधान)

माननीय सभापति: यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है । मैं आप सभी को समय दूंगा । गौरव जी, मैं आपको समय दे सकता हूँ, लेकिन आप इनको वेल में से जाने के लिए कहिए । कृपया, आप इन्हें कहिए कि अगर ये वेल से जाएंगे तो मैं आपको अवसर दूंगा ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति: जय प्रकाश जी, चन्नी साहब, सैलजा जी, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप अपने सदस्यों को वापस जाने के लिए कहिए । क्या यह सदन का आचरण है? आपको पूरा देश देख रहा है । यहां पर उपनेता खड़े हैं । कांग्रेस पार्टी के आपके उपनेता खड़े हैं । आपके उपनेता खड़े हैं और आप वेल में है । आप उनका लिहाज कीजिए । आप कहां पर हैं? यहां पर उपनेता खड़े हैं और आप लोग वेल में हैं । क्या यह सम्मान है? आपको आपके नेता के प्रति भी सम्मान नहीं है?

? (व्यवधान)

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, आप अपने नेता के प्रति सम्मान रखिए । आपके नेता कुछ कहना चाहते हैं । बर्वे साहब, क्या आपको अपने नेता के प्रति सम्मान नहीं है? आपके उपनेता कुछ कहना चाहते हैं इसलिए आप सदन को सुचारू रूप से चलने दीजिए ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

?कि मणिपुर माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति**:** अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी ।

प्रश्न यह है:

?कि खंड 2 से 38 विधेयक के अंग बनें ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड *2* से *38* विधेयक में जोड़ दिए गए ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति**:** मैं आपसे कह रहा हूं कि आप विधेयक पर खंडवार चर्चा करें । आप खंडवार चर्चा करने के लिए तैयार नहीं हैं । आप केवल नहीं-नहीं कह रहे हैं । यह सदन की परंपरा है, सदन की मर्यादा है कि किसी विधेयक पर अगर आप मतदान कर रहे हैं और उस विधेयक पर चेयर आपको अवसर के साथ अनुमति दे रही है कि आप उस विधेयक पर चर्चा करें ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति**:** बैन्नी बेहनन साहब आप सीनियर मेंबर हैं, आप इन्हें समझाइए ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति**:** प्रश्न यह है:

?कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक के अंग बने ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड *1*, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति**:** माननीय मंत्री जी, अब आप प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए ।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I beg to move:

?That the Bill be passed.?? (*Interruptions*)

माननीय सभापति**:** प्रश्न यह है:

?कि विधेयक को पारित किया जाए ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

———

? (व्यवधान)